

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/44/2021

हरीश चन्द्र कटारा पुत्र कुन्दन लाल निवासी ए-3 कृष्णापुरी, प्रतापनगर आगरा (उ०प्र०)।

बनाम

तहसीलदार, उच्चैन।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 09.06.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरीश चन्द्र कटारा पुत्र कुन्दन लाल निवासी ए-3 कृष्णापुरी, प्रतापनगर आगरा (उ०प्र०) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2021 तहसीलदार, उच्चैन से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार, उच्चैन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/362 दिनांक 12.05.2021 के द्वारा तहसीलदार, उच्चैन से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार, उच्चैन से उनके पत्र क्रमांक/683 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार, उच्चैन ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार, उच्चैन से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार, उच्चैन से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 683 दिनांक 04.06.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार, उच्चैन ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 585 दिनांक 07.05.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार, उच्चैन से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, उच्चैन को भी भेजी जावे।


(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर